मेसर्स जे. एस. डब्लू. इनर्जी लिमिटेड द्वारा ग्राम –कुकुर्दा, तहसील एवं जिला – रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित 2 x 660 (1320 मेगावॉट) कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 07.08.2010 का कार्यवाही विवरण

मेसर्स जे. एस. डब्लू. इनर्जी लिमिटेड द्वारा ग्राम –कुकुर्दा, तहसील एवं जिला – रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित 2 X 660 (1320 मेगावॉट) कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 08.07.2010 स्थान शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का मैदान, ग्राम कुकुर्दा, तहसील व जिला रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई । लोक सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 यथा संशोधित 2009 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 500 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 73 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री विकास दुबे, जनरल मैनेजर एवं श्री राघव राव, ई. आई. ए. कंसलटेंट ने प्रस्तावित परियोजना से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 153 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. साधुराम, सरपंच, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. को समर्थन करता हूॅ।
2. नेत्रानंद प्रधान, कुकुर्दा – हमारे गांव में फैक्ट्री खुल रहा है हमारे गांव में फैक्ट्री खुल रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं, हमने अपनी जमीन दी है और हम फैक्ट्री खुलवाना चाहते हैं। आज हमारे अंचल के चार गांवों के लोगों ने अपना जमीन फैक्ट्री खुलने के लिये समर्थन दिया है। 10 किलो मीटर के उपर के लोग क्यों विरोध करेंगे। उनका बात नहीं माना जाये।
3. सत्येंन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, रायगढ़ – हमारा यह पूर्वांचल एरिया क्षेत्र है। उत्तर और दक्षिण में बहुत सारे उद्योग खुल चुके हैं, हमारे इस अंचल में फैक्ट्री खुले क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और फैक्ट्री खुलने से रोजगार मिलेगा। सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकता, इसके लिये फैक्ट्री खुलना जरुरी है। फैक्ट्री खुलने से इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बढ़ेगा, स्कूली शिक्षा मिलेगी, रोजगार मूलक कार्य फैक्ट्री करेगी। इसलिये आज मैं फैक्ट्री खुलने का समर्थन करता हूॅ।

4. गोपाल प्रसाद गुप्ता, कुकुर्दा – हम सभी गांव वालों ने जमीन दे दिया है, कंपनी ने हमसे बोलकर जमीन लिया है कि हम फैक्ट्री खोलेंगे। फैक्ट्री खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा मैं समर्थन करता हूॅ।
5. उपेन्द्र सिंह सिदार, डोंगरपाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ , लेकिन हम जमीन दे देंगे तो हमारे पास और कोई काम नहीं बचेगा, कंपनी को हमें नौकरी देना चाहिए। कंपनी के द्वारा सड़क, बिजली पानी की व्यवस्था की गई है। कंपनी यह एग्रीमेंट करे की सब स्थानीय लोगों को नौकरी देगी , तब मैं कंपनी का पूर्ण समर्थन करता हूॅ।
6. टिकेश्वर प्रधान, छूहीपाली – हम जे. एस. डब्लू. को खुलने का जगह दे चुके हैं, कंपनी छूहीपाली, कुकुर्दा, नवापारा में बैठ रहा है। मैं कंपनी को 5 एकड़ जमीन दे चुका हूॅ। 8 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से हमें पैसा दिया गया है। चारों गांव के लोगों से हर महीने के एक तारीख को मीटिंग लिया जाये कि क्या समस्या है ? और उसको दूर किया जाये।
7. सूरज कुमार, नवापारा – मेरा तबीयत खराब हो गया था, कंपनी के द्वारा मेरा इलाज कराया गया, कंपनी मेरा आर्थिक सहायता करें।
8. नेत्रानंद गुप्ता, छुहीपाली – हम बहुत कष्ट उठाकर जीते थे। जे. एस. डब्लू के द्वारा यहां कंपनी खोला जा रहा है। हमारा जमीन कंपनी में जा रहा है, कंपनी हमें जीने खाने के लिये नौकरी दे।
9. परखित बीसी, छूहीपाली – हमारा जो चार गांव है, छूहीपाली, नवापारा, कुकुर्दा, डूमरपाली के लोगों को कंपनी नौकरी दे हमारा समर्थन है।
10. लक्ष्मण गुप्ता, कुकुर्दा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
11. आशीष कुमार प्रधान, शकरबोगा – मैं कंपनी का बहुत बहुत स्वागत करता हूॅ। यह मानसिकता बन गया है, कि कंपनी के खुलने से डस्ट होगा, लेकिन यह कंपनी बाकी कंपनियों की तरह नहीं है, कंपनी के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण को नियमित चलायेगा, कंपनी आज भारत में दूसरे नंबर पर आ गई है। कंपनी ने इस एरिया को उद्योग लगाने के लिये चुना है इसके लिये मैं कंपनी का धन्यवाद करता हूॅ।
12. सरोज विश्वास, नवापारा – कंपनी के खुलने से इस क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा आदि सुविधा मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। कंपनी के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु फिल्टर का उपयोग किया जायेगा। कुछ कंपनियां हैं, जो कोयला जलाती हैं और धुंआ फेलाती है, लेकिन यह कंपनी गैस से खाना बनाती है और प्रदूषण नहीं होने देती।
13. ब्रजेश देहरी, शकरबोगा – हमारे भविष्य को बनाने के लिये अब जो कंपनी हमें रोजगार देगी । कंपनी के खुलने से हमारे देश का विकास होगा। इसलिये मैं इस कंपनी को समर्थन देता हूॅ।
14. गोविन्द नायक, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. को समर्थन देता हूॅ।
15. संतोष कुमार, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का स्वागत करता हूॅ।
16. टंखधर बेहरा, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का स्वागत करता हूॅ। जितने लोगों का जमीन गया है उन्हें रोजगार दिया जाये।
17. जगदीश प्रधान, छुहीपाली– कंपनी के आने से हमारा भाग्य खुल गया है। मैं जे. एस. डब्लू. का स्वागत करता हूॅ।
18. खगेश्वर गुप्ता, डूमरपाली – हमारा ग्राम बनोरा का आश्रित ग्राम है, हमारे गांव के जमीन की खरीद बिक्री किस हिसाब से होगा यह मैं जानना चाहता हूॅ। पुराने समय से जमींदारों के द्वारा गरीब किसानों के जमीन को खरीद लिया गया था।

एक ही जमीन को तीन–चार बार बेचा जा चुका है। आज तक प्रशासन का ध्यान इस गांव की तरफ नहीं थी, लेकिन एक कंपनी के आने से इस ओर प्रशासन का ध्यान आया है। किसानों के पास 25 साल से जमीन का कब्जा होने के बाद भी उनको उसका पट्टा नहीं दिया गया है। इसका निराकरण हो जाये, उसके बाद ही जमीन के खरीदी बिक्री का काम प्रारंभ किया जाये, विवादित जमीन का निपटारा किया जाये। जिलाध्यक्ष स्वयं कैंप लगाकर इसका निराकरण करे।

19. शूकलाम्बर कालो, कुकुर्दा – मैं समर्थन करता हूॅ।

20. डॉ. उपेन्द्र शर्मा, खरसिया – आज मेसर्स जे. एस. डब्लू. के द्वारा यहॉ 1320 मेगावॉट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है, हम पहले रायगढ़ में विकास के लिये तरसते थे, लेकिन जिंदल के आने के बाद रायगढ़ का विकास हुआ, इस क्षेत्र में भी जे. एस. डब्लू. के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। यहॉ हास्पिटल एवं स्कूल खुलेगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, सरकार ने कंपनी को बहुत सारे एवार्ड से सम्मानित किया है। यहॉ कंपनी ने एम्बुलेंश की व्यवस्था की गई है, गांव में तालाब के गहरीकरण किया गया है और भी तालाबों के गहरीकरण का कार्य प्रस्तावित है। मैं उद्योग का स्वागत करता हूॅ।

21. अनिल पटेल, खरसिया – मैं जे. एस. डब्लू. के खुलने का स्वागत करता हूॅ, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना जरुरी है, कंपनी के खुलने से इस क्षेत्र का जितना विकास होगा, इसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती है। उद्योग के स्थापना से इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकास होगा, क्षेत्र के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास होगा। इसलिये इस कंपनी का मैं स्वागत करता हूॅ। कंपनी के द्वारा समय–समय पर स्वास्थ्य कैंप लगाया जाता है । क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये कार्य किया जायेगा। मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

22. चित्रसेन, छुहीपाली – हमारा समर्थन है।

23. परमानंद अग्रवाल, जामगांव – यह जन सुनवाई हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूॅ। क्योंकि एम. ओ. यू के होने के पहले जन सुनवाई होना चाहिए। बाद में इसका कोई महत्व नहीं है। यह धनबल, बाहूबल की जन सुनवाई है। किसान बेरोजगार हो जायेंगे। 700 एकड़ जमीन को कंपनी के द्वारा गलत तरीके से लिया गया है। गलत ढंग से जमीन को खरीदा गया है। यहॉ का पर्यावरण पहले से ही प्रदूषित हो चुका है, हमारा छोटा सा नदी सूख गया है। मैं विरोध करता हूॅ। किसी भी उद्योग की जन सुनवाई के पूर्व 10 किलो मीटर के क्षेत्र में सूचना दिया जाता है। इस स्थान से मात्र आधा किलो मीटर की दूरी पर उड़ीसा का गांव स्थापित है उसको सूचना नहीं दिया गया है, ई. आई. ए. में उड़ीसा के गांव की जानकारी नहीं दी गई है । हरियाणा क्षेत्र में 25 से 40 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा दिया जाता है यहॉ 8 से 10 लाख दिया जा रहा है, यहॉ भी 40 से 45 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये।

24. गजेन्द्र साव, डूमरपाली – मैं जे. एस.डब्लू. का समर्थन करता हूॅ, हमारे गांव में स्कूल, सड़क आदि में सहयोग दे, गांव में विकास के कार्य करे।

25. महेश रात यादव, जामगांव – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। पानी अच्छा पीने के लिये मिले क्योंकि जल ही जीवन है।

26. प्रभात तिवारी, कोसमनारा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। और आशा रखता हूॅ कि कंपनी स्थानीय विकास का कार्य करेगां।

27. साकेत कर्ष, बनोरा – बहुत खुशी की बात है कि आज जे. एस. डब्लू. कंपनी के द्वारा इस क्षेत्र में पॉवर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी के खुलने से

यहॉ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यहॉ से लोग बाहर काम करने जाते हैं, वे नहीं जायेंगे। कंपनी के खुलने से क्षेत्र का विकास होगा। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।

28. शंकर खुटे, छुहीपाली – हम तो गधे हैं, हमको वैसा काम दो लेकिन पढ़े लिखे लोगों को योग्यता के अनुसार काम दो।
29. भरत लाल राठिया, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
30. भोलाराम मेहर, पंच, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। पढ़े लिखे बच्चों को कंपनी रोजगार दे।
31. ललित कुमार प्रधान, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
32. अभिषेक श्रीवास, रामभाठा, रायगढ़ – तमनार रोड और जिंदल रोड के ड्रायवर लोगों को फांसी दिया जाये।
33. कार्तिक मेहर, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। मैंने जमीन को खरीद लिया था। मेरे बच्चों को कंपनी रोजगार दे।
34. हीरालाल, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। सब बच्चों को कंपनी काम दे।
35. आनदं राम मिश्रा, छुहीपाली – आज हमारे स्कूल प्राथमिक शाला में कंपनी के द्वारा आहाता बनाया जाये।
36. हीरालाल पटेल, छुहीपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। हर आदमी को योग्यता अनुसार काम मिले।
37. अमित कुमार यादव, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। कंपनी ग्राम का विकास करे।
38. नजीर खान, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
39. अजहर हुसैन, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
40. अमित यादव, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
41. दिलीप यादव, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
42. सुजित कुमार चौहान, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
43. डॉ. शक्राजीत नायक, विधायक, रायगढ़ – आज के जन सुनवाई जे. एस. डब्लू. लिमिटेड के द्वारा जो 1320 मेगावॉट के स्थापना के लिये हो रही है, मैने चारों गांव का दौरा किया सभी किसानों और युवाओं से मैंने चर्चा किया, सभी लोगों ने एक शर्त रखा है और एक ग्यारह सुत्रीय मांग रखा है। कंपनी के द्वारा अगर यह मांग को लिखित में पूरा करने को दे तो हम समर्थन करेंगे। हमें पता चला है कि कंपनी के द्वारा सभी मांगों को पूरा करने का लिखित में दिया है। हमारे राज्य शासन जो मुआवजा राशि तय किया है उसी भाव में कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाये, कंपनी के द्वारा पुराने, कम दाम में खरीदे जमीन का भी नये भाव से मुआवजा दिया जाये। कंपनी प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय करे। स्थानीय बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर स्थायी नौकरी दे। स्वास्थ्य सुविधा के लिये इस क्षेत्र में डॉक्टर एवं एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। इस क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों पंच, सरपंच की बातों को महत्व देते हुए उनके सुझाये गये समस्याओं का समाधान करना होगा। मैं कंपनी को समर्थन दे रहा हूॅ।
44. जितेन्द्र सिंह, रायगढ़ – मैं प्लांट को सशर्त समर्थन करता हूॅ। एम एस. पी. में कितना प्रदूषण हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया है। इण्ड एग्रो में भी यही स्थिति है। कंपनी के द्वारा स्थानीय 60 प्रतिशत लोगों को तथा 40 प्रतिशत अन्य क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाये।

हर गांव में सड़क, स्कूल, बिजली की व्यवस्था की जाये। कंपनी के द्वारा बड़ी–बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। कंपनी के द्वारा हमारी शर्त माना जायेगा तो हम समर्थन करते हैं।

45. त्रिलोचन बेहरा, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। हमारे गांव के सभी लड़कों को योग्यतानुसार नौकरी दी जाये।
46. बिसाहू कुमार, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
47. धनेन्द्र सिंह, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
48. किशन चौहान, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
49. निरंजन गुप्ता, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
50. आशिष कुमार, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
51. ललित कुमार निषाद, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
52. पवित्र प्रधान, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
53. खेमराज अग्रवाल, रायगढ़ – आज जो कार्यक्रम रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूॅ। यह एक बहुत अच्छा कंपनी है। जिस प्रकार से भिलाई, कोरबा, राउरकेला की उन्नति हुई वैसे ही रायगढ़ की भी उन्नति होगी।
54. बबलू, धरमपुर – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
55. सागर सारथी, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
56. अजय सक्सेना, कुकुर्दा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
57. बासन्ती साव, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करती हूॅ।
58. सविता भोय, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करती हूॅ। हमारे यहॉ पानी की समस्या है, गांव में पानी की टंकी बनाई जाये, महिलाओं के लिये सुविधा दी जाये, पढ़े–लिखें लोगों को रोजगार दिया जाये।
59. गौरी चौहान, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करती हूॅ। मैं स्कूल को संभालती हूॅ मुझको सहयोग राशि प्रदान किया जाये। गांव में सुधार कार्य किया जाये।
60. फूलमति सिदार, डूमरपाली – हमारे महिलाओं के लिये सुविधा किया जाये, गांव के बेरोजगारों को नौकरी दिया जाये। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करती हूॅ।
61. हीरामती,पंच डूमरपाली – हमारे गांव में पानी की टंकी और अन्य सुविधा किया जाये। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करती हूॅ।
62. सावित्री निषाद, डूमरपाली – मेरे पति का स्वास्थ्य खराब है, हमारी मदद की जाये।
63. सितिया, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करती हूॅ। गांव का तालाब सूख गया है।
64. अमित कुमार, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
65. विकास यादव, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
66. राहुल यादव, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
67. रोहित कुमार साव, नवापारा – गांव में पानी और स्वास्थ्य की सुविधा की जाये, गांव में गंदगी नहीं फैलना चाहिए। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
68. संजय कंवर, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
69. संजय सिंह, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
70. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ – केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 2006 के अनुसार अगर यह जन सुनवाई करवाई जा रही है तो उसमें लिखा है कि कंपनी के आवेदन के 7 दिवस के भीतर जन सुनवाई की तिथि निर्धारण करना

चाहिए तथा 45 दिनों के भीतर जन सुनवाई करवाई जाये, अगर ऐसा नहीं कराया जा सके तो केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन कर जन सुनवाई करायेगी। आज लगभग 6 माह बाद यह जन सुनवाई कराई जा रही है। यह जन सुनवाई अधिनियम के विपरीत है। अधिसूचना की शर्तें आज की जन सुनवाई पर लागू नहीं है। जिस क्षेत्र में आज जन सुनवाई की जा रही है वह क्षेत्र परवल की खेती के लिये प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र से भारत हीं नहीं पाकिस्तान और बंगलादेश कई जगह पर यहॉ से परवल भेजा जाता था। लेकिन जब से इस क्षेत्र में एम. एस. पी. और इण्ड सिनर्जी के लगने से इस क्षेत्र में परवल की खेती पर प्रभाव पड़ा है। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहॉ के लोगों का जीवन कृषि, वनोपज और पशुधन है, इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर वनोपज है। रायगढ़ जिले में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रायगढ़ को सबसे कम तेंदूपत्ता उत्पादन का टार्गेट मिला और उससे भी 20 प्रतिशत कम उत्पादन किया गया। सबसे उच्च क्वालिटी का कोसा उत्पादन रायगढ़ जिले में होता था, लेकिन आज कोसा उत्पादन लगभग समाप्त हो गया है। रायगढ़ जिले के अंदर लगभग 50 स्पंज ऑयरन और अन्य बड़े उद्योग खुल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। कंपनी के द्वारा एक ऐसी स्थानीय बेरोजगारों की सूची तैयार किया जाये, जिसमें उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार दिया जाये। आज रायगढ़ जिले में लगभग 50000 गाड़ियां चलती है। लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला गया है। एक सर्वे के अनुसार इस क्षेत्र में जितने लोगों की मौत दुर्घटना से होती है, वह नक्सली हमले से ज्यादा है। उद्योगों की स्थापना के साथ–साथ रायगढ़ जिले का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जाये। रायगढ़ जिले में फैल रहे प्रदूषण की स्थिति को सभी जानते हैं। क्योंकि कंपनियों के द्वारा ई. एस. पी. का सुचारु संचालन नहीं किया जाता है, शहर के घरों की छतों में काला डस्ट जम जाता है। इस क्षेत्र में पानी की समस्या पैदा हो रही है, जिस स्थान पर जन सुनवाई हो रही है वहॉ मई–जून के महिने में सूख चुका था। इस क्षेत्र में 30 से 35 मीटर जल स्तर गिर चुका है। आने वाले समय में हमें मिनरल वॉटर पीना पड़ेगा और मिनरल वॉटर से नहाना पड़ेगा। कंपनी के द्वारा महानदी से जल लाने की बात बताई गई है। कंपनी जब बनेगी तब महानदी से पानी लाया जायेगा, या कंपनी के निर्माण कार्य के समय ही महानदी से पानी लाया जायेगा, लेकिन अगर भूमिगत जल का उपयोग किया जायेगा तो इस क्षेत्र के भू–जल में और अधिक गिरावट आयेगा। जल संसाधन विभाग से जल लेने की अनुमति लगी है। पानी के लाने में जो पाईप लाईन बिछाई जायेगा, उसमें आने वाले किसानों की जमीन, जंगल की जमीन आयेगी उसकी भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा। इस क्षेत्र से लगभग 10 किलो मीटर के अंदर उड़ीसा के गांव भी आते हैं। कंपनी के चालू होने से इस क्षेत्र में स्थापित स्कूलों के बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन नहीं किया गया है। पुरातात्विक क्षेत्र कबरा पहाड़ के बारे में जानकारी नहीं है। हाथी प्रभावित क्षेत्र होने की जानकारी ई. आई. ए. रिपोर्ट में नहीं दी गई।

71. रविन्द्र पटेल, जामगांव – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ। यह एक ऐसी कंपनी है, जिसने जमीन लेने के लिये दलालों के माध्यम से नहीं लिया है, सीधे किसान से खरीदा गया है, जो जमीन आज से चार–पांच साल पहले चार–पांच लाख रुपये एकड़ में बिक रही थी, उसका 8 लाख रुपये के दाम से मुआवजा दिया जा रहा है। परवल की खेती में 6 से 8 महिने लगते हैं, लेकिन कंपनी में काम

करने से प्रतिमाह 3 से 4 हजार रुपये मिलता है, लेकिन परवल की खेती में छह माह में 5 से 6 हजार रुपये की आमदनी होगी और 12 घंटे खेत में काम करना होगा। यहॉ हर गांव के प्रतिनिधि मौजूद है और सभी कंपनी का समर्थन कर रहे हैं।

72. इतवार सिंह सिदार, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
73. चन्द्रभान यादव, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
74. माया यादव, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
75. सुबोध गुप्ता, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
76. हेमसागर यादव, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
77. शीतल सिदार, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
78. अमित यादव, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
79. रवि कुमार राजपूत, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
80. सुरेश राजपूत, सियारपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।
81. जयंत बहिदार, संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – ये जन सुनवाई शासन ने रखी है हमारे रायगढ़ जिले के विधायक महोदय पहले ही अपनी बात रखी है। उनको लाईन से आना चाहिए था, लेकिन वे लाईन से नहीं आये उसका मैं विरोध करता हूॅ। अगर कानून का उल्लंघन होता है तो आम जनता यह अपेक्षा रखती है कि उचित न्याय मिलेगा। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा तमनार में जिंदल कंपनी के जन सुनवाई को सहमती दी जाये, जबकि सी. एम. डी. सी. के द्वारा आपत्ति की गई थी। जब मैं बोलूं तो बीच में टोकाटोकी नहीं किया जाये। जन सुनवाई को रोकने के लिये दारु पी के आने वालों को गिरफ्तार किया जाये। यह जन सुनवाई नहीं होनी चाहिए। 5 तारिख को हमने आपत्ति पत्र भेजा है, क्योंकि यह जन सुनवाई गैर कानूनी हो रहा है। इस कंपनी को पानी लेने की अनुमति दी गई है, स्वीकृति पत्र में लिखा गया है, कि कंपनी के आवेदन पर कंपनी को घरघोड़ा क्षेत्र में देवघर, झरियापाली में 1200 मेगावॉट प्लांट की स्थापना के लिये महानदी से पानी लेने की स्वीकृति दी गई है। कुकुर्दा गांव में 1320 मेगावॉट क्षमता के लिये यह कंपनी की जन सुनवाई हो रही है, यह गैर कानूनी है, अवैधानिक है। इस क्षेत्र में कबरा पहाड़ एतिहासिक क्षेत्र है जो संरक्षित किया गया है। इसलिये इस जन सुनवाई को हम यहीं पर रोकने की मांग करते हैं। ई. आई. ए. नोटिफिकेशन का भी उल्लंघन किया गया है, प्रदूषण बढ़ेगा, फ्लाई एश निकलेगा, कंपनी को फ्लाई एश बांध बनाने की अनुमति नहीं मिला है। कोरबा में एन. टी.पी.सी. का बांध टूटा था और रायगढ़ में जिंदल का भी राखड़ बांध टूट चुका है। कंपनी को जितना पानी आबंटित 35 मिलियन है, उससे 660 मेगावॉट विद्युत ही उत्पादन हो सकता है, यह कंपनी भूमिगत जल का उपयोग करेगा, कंपनी फ्रॉड है, उसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये 2 से ढाई एकड़ भूमि चाहिए, यदि यह 1320 मेगावॉट की कंपनी लग गई तो पूरा अंचल उजड़ जायेगा। यह कंपनी 700 एकड़ जमीन मांग कर धोखा कर रही है। प्रदूषित पानी जो कंपनी छोड़ेगा, जिससे भूमि बंजर हो जायेगी, लाखों लोग यहां से उजड़ेंगे। बाहर के लोगों को कंपनी नौकरी देता है। इस कंपनी को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह हानिकारक है। यह जो परियोजना स्थल प्रस्तावित है यहॉ से एक किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा के गांव हैं, वहॉ पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए था कि उड़ीसा राज्य में भी इसकी जन

सुनवाई की जानी थी। अगर जिला प्रशासन इस जन सुनवाई को नहीं रोकेगी तो हम हाईकोर्ट, सुप्रिम कोर्ट तक जायेंगे। मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।

82. रघुवीर प्रधान, एकता परिषद, रायगढ़ – यह जन सुनवाई होनी चाहिए या नहीं यह तो कानून का मामला है, अगर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय स्वीकृति देती है, तो फिर यहॉ जन सुनवाई में हिंसा फैलाने का कार्य न करें, वे इस क्षेत्र में आयें, और स्वीकृति दें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक यूनिट बिजली के लिये 4 से 5 लीटर पानी चाहिए, वे ऐसी कौन सी तकनीक लायें है, जिससे वे 2 से 3 घन मीटर पानी में 1320 मेगावॉट पॉवर प्लांट लगायेंगे। इन्होंने जो पानी छोड़ने के बारे में बताया है, कि 720 घन मीटर प्रतिदिन है, उससे इस क्षेत्र में बाढ़ आ जायेगा। यहॉ का पर्यावरण विभाग ने स्पष्ट रुप से पर्यावरण मंत्रालय को सूचित किया है कि रायगढ़ क्षेत्र में और अधिक उद्योग नहीं लगाये जा सकते। यहॉ पर जो पानी की मात्रा बताई गई है। उसमें 1200 मेगावॉट के हिसाब से हैं, फिर 1320 मेगावॉट पॉवर प्लांट कैसे लगाया जायेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। हम अपना लिखित आपत्ति दर्ज करते हैं।

83. डिग्री चौहान, पुसौर – जन सुनवाई में मंच में चुने हुए लोगों को बैठाया जाता है, मैं मंच से यह आग्रह करता हूँ। जन सुनवाई में सभी लोग लाईन से आयें और अपना विरोध दर्ज करे।

84. प्रकाश त्रिपाठी, सर्वोदय विकास समिति, गेरवानी – मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विकास शब्द की पीछे छिपे विनाश शब्द का विरोधी हूँ। रायगढ़ जिले में कंपनियों ने विनाश ही किया है। क्या कंपनी के द्वारा जो बात कहा गया है उसको पूरे किये गये हैं, इसकी जांच की गई है। कंपनी केवल अपना विकास करती है और जनता का विनाश करता है। कंपनी ने 600 लोगों को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन जब प्लांट चालू होगा तो कह दिया जायेगा की वे शिक्षित नहीं है। कंपनी खुलने से एक साल पहले इस क्षेत्र में आई. टी. आई. या ऐसी व्यवस्था निर्मित की जाये, कि ऐसे लोग तैयार हो जायें। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कंपनियों के जैसे गद्दार अंग्रेज भी नहीं थे। कंपनी के खुलने से पहले बेरोजगार लोगों के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये। ई. आई. ए. में इस क्षेत्र की जमीन को बंजर बताई है क्या इस क्षेत्र की जमीन बंजर दिख रही है। जो व्यक्ति हमारी माता को ही निकम्मी कह रही है ऐसी कंपनी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि जो नई पीढ़ी आयेगी वह लूली, लंगड़ी और अंधी पैदा होगी। ई. आई. ए. में लिखा गया है कि इस क्षेत्र में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है, जबकि यह तो हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहॉ कबरा पहाड़ संरक्षित भित्ति चित्र है। इन्होंने डस्ट को रोकने के लिये जल छिड़काव की व्यवस्था करना बताया गया है। ग्रीन बेल्ट बनाने की बात कही गई है, जो सिर्फ पेपर में बताया जाता है किसी प्रकार से वृक्षारोपण नहीं किया जाता है। गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। ई. आई. ए. में 15 किलोमीटर के क्षेत्र में नदी या नाला नहीं होना बताया गया है। जबकि नाला पास में ही स्थित है। इस जन सुनवाई को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

85. रमेश अग्रवाल, जन चेतना, रायगढ़ – सभी लोगों को अपनी बात रखने का समय दिया जाना चाहिए। रायगढ़ जिले के गरीब और भूखे नंगे लोग जिनके पास काम नहीं है। कंपनी ने यह सोचा कि यह क्षेत्र गरीब क्षेत्र है यहॉ उद्योग लगाया जाये, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिये हम कंपनी के आभारी हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार जन सुनवाई नहीं हो रही है और सी. ई. सी.बी. को भी जन सुनवाई करवाने का अधिकार नहीं है, जन सुनवाई का 45 दिन के अंदर

करवाने हेतु हम आपत्ति करते हैं तो कहा जाता है। यह सुविधा उद्योग प्रतिनिधि के लिये बनाई गई है। ई. आई. ए. रिपोर्ट मई 2010 में बनाया गया है, फिर आवेदन जनवरी 2010 में कैसे किया गया है। जबकि कंपनी के द्वारा आवेदन के समय 10–10 प्रति ई. आई. ए. की जमा की जाती है, फिर मई में रिपोर्ट कैसे तैयार की गई, इसकी जांच की जानी चाहिए। विभाग की वेबसाईट लगभग 1 साल से खराब है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद विभाग नहीं चाहता कि कोई जानकारी लोगों दिया जाये। सभी भ्रामक जानकारी इसकी ई. आई. ए. में दी गई है। इस क्षेत्र में पॉवर प्लांट स्थापना के लिये जो बातें बताई गई हैं, उसमें इस क्षेत्र में प्राईवेट सेक्टर से 500 मेगावॉट पॉवर उत्पादन बताया गया है। जबकि रायगढ़ के तमनार में ही 1000 मेगावॉट पॉवर प्लांट स्थापित है। कंपनी के द्वारा अपने पारिवारिक घराने के कंपनी के बारे में बताने से कंपनी क्यों बच रहा है। क्या वे उसके बारे में बताना नहीं चाहता। कंपनी को पानी की अनुमति घरघोड़ा के किसी पॉवर प्लांट के लिये है, कुकुर्दा में स्थापित होने वाले प्लांट के लिये नहीं है। यदि यह वहीं कंपनी है और पानी भी वहीं है तो साईट चेंज करने की जानकारी ई. आई. ए. में नहीं है। महानदी से 29 कंपनियों को पानी एलाटमेंट किया जा चुकी है। 473 एम.सी. एम. पानी की अनुमति दी गई है। क्या महानदी में इतना पानी उपलब्ध है कि इतने अधिक मात्रा में पानी कंपनियों को दी जा सके, सरकार ने तो एम. ओ. यू. कर लिया है, पानी हो या नहीं उनको पानी तो देना ही होगा, क्या इसकी जांच कराई गई है ? कि कंपनियों को पानी देने के बाद रायगढ़, सारंगढ़ की आम जनता को देने के लिये कितना पानी बचेगा। महानदी से पानी लाने के लिये पाईप लाईन बिछाई जायेगी, टी. ओ. आर. में कहा गया था कि उस पाईप लाईन बिछाने में जो अड़चने आयेंगे उसकी जानकारी ई. आई. ए. में दी जाये, कि उस क्षेत्र में कितना फारेस्ट जमीन या कितने किसानों की जमीन आयेगी। लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जानकारी ई. आई. ए. में नहीं दी गई है। टी. ओ. आर. नं. 11 में आस–पास के नदी नाले में उद्योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके द्वारा जवाब में दिया गया है। कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में नाला है। केलो नदी भी 5 किलोमीटर में बताया गया है। शायद केलो नदी अपना रास्ता बदलेगी और कल से कुकुर्दा होकर गुजरेगी। मैनें गूगल के द्वारा जो चित्र लिया गया है उसमें इनके उद्योग और कालोनी एरिया से होकर केलो नदी में मिलना बताया गया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि कन्फर्म लींकेज कंपनी के पास होना चाहिए। कंपनी के द्वारा लिखा गया है कि कार्य प्रोसेस में हैं, जबकि मेरे द्वारा जांच किया गया तो इनका किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया है। एस. ई. सी. एल. तथा यहॉ से करीब 278 किलो मीटर दूर अंगूल के कोल ब्लाक से कोल लाने का आप्सन रखा गया है। जब कोल लींकेज नहीं है तो जन सुनवाई करवाने की इतनी जल्दी क्यों ? ई. आई. ए. रिपोर्ट में कहा गया है कि 770 एकड़ जमीन जो आवश्यक है उसको सीधे किसान से खरीदा जायेगा और दूसरी तरफ 770 एकड़ जमीन के लिये भू–अर्जन के लिये आवेदन लगाया गया है और उसकी स्वीकृति भी मिल गई है। जानबूझकर इन जानकारियों को नहीं दी गई है। गलत जानकारी देने के कारण इनका प्रोजेक्ट रद्द किया जा सकता है। फिर जमीन जैसे प्रमुख मुद्दे के बारे में गलत जानकारी दी गई है। जिन वनस्तियों के नाम दिये गये हैं, वे वानस्पितक नाम हैं, उनमें से केवल पांच वनस्पति के स्थानीय नाम बताया जाये। वन्यप्राणी के बारे में भी यही स्थिति है। नील गाय मिलने की जानकारी दी गई है। जबकि वो इस क्षेत्र में नहीं मिलता है। जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगाये गये, हवा की जांच के लिये उसमें जो

नाम दिये गये है 3, 5 और 6 जिसमें 6 नंबर रेल लाईन के पास बताया गया है। सी. डी. में जो नक्शा दिया गया है और ई. आई. ए. में जो नक्शा है वह अलग अलग है। तत्कालिन क्षेत्रीय अधिकारी की जानकारी में ई. आई. ए. रिपोर्ट में फेरबदल किया गया, जबकि ई. आई. ए. रिपोर्ट में फेरबदल नहीं किया जा सकता। कंपनी को अगर ई. आई. ए. में फेरबदल करना था, तो मुख्यालय स्तर से करना था, लेकिन स्थानीय स्तर के अधिकारी अजय चन्द्र मालू के द्वारा ऐसा किया गया। फिर ऐसी जन सुनवाईयों का कोई औचित्य नहीं निकलता है। कंपनी से जो राखड़ निकलता है वह रायगढ़ जिले ही नहीं पूरे भारत के लिये एक समस्या बन गई है। लाखो टन ऐश इस प्रस्तावित पॉवर प्लांट से निकलेगी, लेकिन उसका कोई उपाय, कहा गया है कि सीमेंट प्लांट को देना बताया है लेकिन रायगढ़ में कौन सा सीमेंट प्लांट है, होगा वहीं जो खेतों और सड़क के किनारे डाल दिया जायेगा। और बताया गया है कि फ्लाई एश के 1 से 2 टन डालने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। फ्लाई एश में ऐश कौन से कंटेंट है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है इसकी जानकारी दी जाये।

86. रोहित कुमार प्रधान, डूमरपाली – मैं बेरोजगार हूॅ कंपनी के द्वारा मुझे बुलाया गया और रोजगार देने की बात कही गई है। कंपनी द्वारा मेरे को काम दे। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।

87. धनि कुमार चौहान, लोईंग – मैं आठवीं पास हूॅ, मैं कंपनी से निवेदन करता हूॅ कि मेरे को छोटा–मोटा काम दिया जाये। कंपनी के द्वारा हम विकलांग लोगों के लिये क्या काम किया जायेगा।

88. बोधराम भूमिया, भैसगढ़ी – डुबान क्षेत्र का मुआवजा कैसे दिया जाता है। गरीबों को जमीन कम दाम में नहीं मिल रहा है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, हर जमीन खाताधारी को रोजगार दिया जाये। कंपनियों में मैंने कई सारे बायोडाटा जमा कर चुका हूॅ लेकिन नौकरी नहीं मिला है। मैं विरोध करता हूॅ।

89. सुभाष कुमार साव, शकरबोगा – हमारे क्षेत्र में कई सारे जन सुनवाई हो चुके हैं। लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। इस कंपनी का जो जन सुनवाई हो रहा है, इस कंपनी के द्वारा सीधे किसानों से संवाद किये, वह हमारे क्षेत्र के लिये सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिनकी जमीन ली गई, उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए उतना पैसा मिला है। क्षेत्र में शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रोग्रेस का कार्य कंपनी के द्वारा किया गया है। हमारे क्षेत्र के सभी गांव में कंपनी के लोग घूमे और ग्रामीणों से संपर्क किया गया। कंपनी के प्रति क्षेत्र में जो विश्वास पैदा किया गया है, उससे कंपनी से किसी प्रकार की धोखा नहीं होगा। हम क्षेत्रीय लोग कंपनी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आकर कंपनी का विरोध कर रहे हैं। यहॉ जो प्रदूषण होगा तो सबसे पहले हम प्रभावित होंगे। यहॉ सड़क, कालेज और अन्य सुविधा उपलब्ध कराया जाये। हम पूरे क्षेत्र के जनता कंपनी का समर्थन करते हैं। कंपनी वृक्षारोपण करे और ऐसा करें कि 500 पौधे में से 200 पौधे तो जीवित रहें। हर गांव को सड़क से जोड़ने हेतु योगदान करे, क्षेत्र का समुचित विकास करे।

90. ललित सिदार, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।

91. जयकिशोर प्रधान, चक्रधर नगर, रायगढ़ – कंपनी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल जिसमें पी. एच. 7 से बहुत कम होगा। यह 5 और 6 है तो उसमें कोई भी जलीय जंतु उसमें जीवित नहीं रहेगा। रायगढ़ क्षेत्र में इतने सारे उद्योग लग चुके हैं और रायगढ़ जिले में कितनी मात्रा में

कार्बन डाई आक्साईट, नाईट्रोजन आक्साईट, निकलेगा जिससे भोपाल गैस कांड जैसी स्थिति उत्पन्न होगी।

92. मंगलू चौहान, मनुआपाली – हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिल रहा है, वह उचित है।

93. गिरीश गुप्ता, लोईंग – हमारे विधायक डॉ. शक्राजीत नायक जो क्षेत्र के विकास के लिये सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ और विद्युत की उपयोगिता समझता हूँ, इसलिये इस पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिये कंपनी काम करे।

94. मंगल सिंह सिदार, बनोरा – जे. एस. डब्लू. के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर पर्यावरण को ध्यान में रखकर उद्योग लगे।

95. एवन कुमार मेहर, रायगढ़ – जे. एस. डब्लू. कंपनी के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापना किया जा रहा है, उससे इस क्षेत्र का हरा भरा रहेगा या नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।

96. नरेश कंकरवाल, रायगढ़ – अंचल में ग्रामीणों के हित के लिये कंपनी की स्थापना की जा रही है, इससे स्थानीय विकास होगा। उद्योग के खुलने पर क्षेत्र के वासियों को रोजगार मिलता है, विकास होता है, लेकिन इसके साथ–साथ बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होता है। हमारी जंगल, हमारी जमीन और हमारा जल तब हम रोजगार के लिये पलायन न करें, इसके लिये उद्योग लगना जरुरी है। पलायन करने के लिये राज्य शासन जवाबदार है। मैं कंपनी से पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में ग्रामीणों के साथ धोखा–धड़ी तो नहीं की जायेगी, जैसे दूसरी कंपनी करती है। अंचल वासी यह भी चाहते हैं कि संयंत्र में 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी तक ग्रामीण अंचल की जमीन ही खरीदी गई है। क्या भारत सरकार की नियम के अनुसार यह जमीन बंजर या अनुपयोगी है। हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाया जाये। क्या पर्यावरण या जंगल को उजाड़ कर उद्योग लगाया जा रहा है। ग्राम कुकुर्दा में जे. एस. डब्लू. की एक ऐसी पहल जो हम सभी गरीब किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। क्या यहॉ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा या बाहर के लोगों को रोजगार दिया जायेगा। हम जे.एस. डब्लू का भरपुर स्वागत करते है।

97. कुश गुप्ता, बरेलिया– मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ। ऐसा कुछ भी काम कम्पनी न करे जो जनहित में ना हो।

98. इन्द्रजीत गुप्ता,कुकर्दा – हमारा जमीन नही है तो हमें क्या मिलेगा ? कुकुर्दा बस्ती नही हटना चाहिए।

99. मिलन कुमार बेहरा, लोईंग – मै यही अनुरोध कर रहा हूँ कि फैक्टी खेल में अपना योगदान दे, मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।

100. किशोर गुप्ता,कुकुर्दा– मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।

101. गौतम प्रधान, लखनपुर , उड़ीसा – पहले तो देश के विकास के लिए पावर जरूरी है। उड़ीसा का 10 से 12 गांव समाप्त हो रहा हैं। देश की विकास के लिए आदमी को झेलना पडेगा । उडिसा के आदमी को नई देना चाहिए ऐ बताया गया है। प्रेाजेक्ट के बारे में हर आदमी को ज्ञान होना चाहिए। उड़ीसा के 10 से 12 गांव जो प्रभावित हुए उसे कम्पनी को ध्यान में देना होगा ।

102. शशिभुषण साहू, बनोरा– यहा के किसानो को उनका अधिकार मिलना चाहिए। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।

103. बोधराम कंवर गुप्ता, कोयलंगा – जीओ और जीने दो । मै यही चाहता हूँ।

104. सूर्यकांत त्रिपाठी , लोईंग – इस क्षेत्र के लोगो के भलाई के क्या करेंगें , तथा स्वास्थ्य के बारे में भी कम्पनी सोचे । प्रबंधन इस क्षेत्र के बारे में वादा किये थे कि इस क्षेत्र के लिए वह सभी कार्य करेगे जो क्षेत्र की भलाई हों। क्षेत्रीय ग्रामीण जनता के हर तरह से सोचना होगा।

105. गोपाल प्रसाद साहू , सरपंच बनोरा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।

106. लल्लू सिंह , नेतनागर – इस क्षेत्र में उद्योग खुलने से जो प्रभाव होगा यह तो बाद में पता चलेगा, वह तो भगवान जानता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था अब लिखा जायेगा, कढ़ाई का कटोरा कहा जायेगा। हमें धान चावल चाहिए, लोहा नहीं चाहिए, पैसा कब तक पुरेगा, हमारे पुरखों को धन्यवाद करों जो हमारे जमीन को बचा कर रखे हैं, किसान से दुखियारी दुनिया में कोई नहीं हैं, धान के अलावा महवा, चार और डोरी से कमाई होता था। आज आप लोगों को बहुत खुशी हो रहा है कि हमने अपना कोई विकास नहीं किया, हरियाणा और पंजाब के लोगों को बुलाकर जब नौकरी दी जायेगी, तब पता चलेगा। मैं अगर किसान का बच्चा हूँ तो किसानों को बचाने के लिये एक होना पड़ेगा। आज कल के नेता जो चुनाव के समय किसानों को बोलते हैं कि तुमको क्या तकलीफ है, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं।

107. रानू यादव, रायगढ़ – भीख नहीं अधिकारी चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। उद्योग लगेगा तो विकास होगा।

108. राजू मिश्रा, चक्रधर नगर, रायगढ़ – जन सुनवाई आज कुछ लोगों का व्यापार बन कर रह गया है, हम स्थानीय लोगों को फैक्ट्रीयों के बढ़ने से परेशानियां बढ़ रही हैं, हम अगर विरोध करेंगे तो कोई मतलब नहीं हैं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं, जिन किसानों को भूमि खरीदी में बराबर मूल्य नहीं मिला है, उन्हें शेष राशि दिया जाये, स्थानीय स्तर पर योग्यतानुसार रोजगार दिया जाये। यातयात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये, प्रदूषण के संतुलन के लिये दबाव बनाया जाये, प्लांटों के अंदर 10 इंच के बोर खुद जाते हैं, लेकिन आम आदमी को बोर खुदवाने हेतु अनुमति लेनी पड़ती है, कंपनी के लगने से यदि लोग विस्थापित होते हैं, उनको पुर्नस्थापित किया जाये।

109. कार्तिक राम साव, बनोरा – हमारे अगल–बगल में एक दो कंपनी बैठी हुई है, लेकिन हमारी पंचायतों को अपना नहीं मानती है, जबकि जे. एस. डब्लू. कंपनी को हम चार–पांच पंचायत के लोग मिलकर बैठा रहे हैं। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ। हमारी मांग हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। क्षेत्रवासियों को सम्मान होना चाहिए।

110. प्रदीप कुमार मिश्रा, बनोरा – जे. एस. डब्लू. कंपनी जब से आयी है, एक विशेष प्रकार की खुशी इस क्षेत्र में फैली हुई है। कंपनी के द्वारा सीधे किसान से संपर्क किया जा रहा है, कंपनी पर्यावरण का ध्यान रखे और स्थानीय विकास करे। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।

111. बलराम मेहरा, बनोरा – बनोरा गांव में 400 एकड़ जमीन है, लेकिन केवल 100 एकड़ जमीन में खेती होती है। कंपनी के लिये जो पानी आयेगा, उसमें से 5 प्रतिशत पानी गांव को दिया जाये, जिससे सारे जमीन को सिंचाई की जा सके।

112. गुड्डू यादव, बनोरा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।

113. कालियाराम प्रधान, साल्हेओना – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ। लेकिन कंपनी के द्वारा बड़े– बड़े वादे किये जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं किया जाता , पूर्व के कंपनी के द्वारा नाले के पानी को रोक लिया गया, जिससे आम निस्तारी में बहुत

समस्या हो रहा था। गांव के नाले में पानी कम नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों को योग्यताअनुसार रोजगार दिया जाये, प्रशिक्षण दिया जाये।

114. गौतम राम बेहरा, साल्हेओना – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
115. साहेबराम गुप्ता, कुकुर्दा – मेरा साढ़े आठ एकड़ जमीन आ रहा है, जो आदमी सहमती से जमीन दे रहा है, उसके जमीन में प्लांट लगाया जाये, हम जमीन नहीं बेचना चाहते, हमारी जमीन को अधिग्रहण नहीं किया जाये।
116. राजेश कुमार व्यास, साल्हेओना – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
117. हीरालाल विश्वकर्मा, बनोरा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
118. रोहित निषाद, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
119. रवि भगत, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
120. अनिल प्रधान, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ। हमारा सब जमीन चला जायेगा तो हमें नौकरी दिया जाये।
121. राजू प्रधान, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
122. नवीन सिंह सिदार, सरपंच, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
123. वेणुधर साव, बनोरा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
124. मोतीलाल, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
125. रवि साहू, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
126. संदीप पाणिग्रही, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ। योग्यता अनुसार सभी को रोजगार दिया जाये।
127. अशोक कुमार गुप्ता, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
128. सुनील निषाद, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
129. हिमांचल विश्वाल, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
130. नरेश यादव, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
131. दिनेश यादव, बेहरापाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
132. गजानंद सिदार, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
133. आकश निषाद, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
134. ध्रुव कुमार , लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
135. अजित नंदे, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
136. संजीव भगत, लोईंग – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
137. दिनेश प्रधान, साल्हेओना – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
138. मकरध्वज चौहान, नावापारा – यह कंपनी पर्यावरण संरक्षण के लिये कई सम्मान से सम्मानित है इसलिये मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ। कंपनी के आने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा।
139. शरद पुरोहित, लोईंग – कंपनी के द्वारा जितने पेड़ काटे जायेंगे उससे चार गुना पेड़ लगाये जाये, सभी बेरोजगारों को रोजगार दे, इस शर्त के साथ मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
140. प्रवीण कुमार मिश्रा, बेहरापाली – सब को रोजगार मिले हमको इज्जत मिले। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
141. राजकुमार विश्वाल, नवापारा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
142. मोहित लाल सोनी, रायगढ़ – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
143. कार्तिकराम निषाद, डूमरपाली – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
144. रंगावतार बोधिया, बनोरा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।
145. दिनेश जायसवाल, नवापारा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूँ।

146. अनादिराम साह, साल्हेओना – कंपनी के द्वारा स्टाम्प में एग्रीमेंट किया गया है, कंपनी के द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये। हमारे पूर्वांचल को पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, यहॉ के लोग शिक्षित हैं, उनको रोजगार मिलेगा। जे. एस. डब्लू. के लगने से क्षेत्र का विकास होगा। गांवों में बेरोजगारों को खोजकर रोजगार दिया जाये।

147. तेजराम विश्वाल, नवापारा – मैं फैक्ट्री को आशिर्वाद देता हूॅ। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको जो तकलीफ है, उसको दूर किया जाये। सभी का भविष्य आपके हाथों में हैं। फैक्ट्री का नाम नवापारा होना चाहिए।

148. मदन लाल निषाद, बनोरा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।

149. सुरेश कुमार साव, शकरबोगा –

150. राधेश्याम गुप्ता, शकरबोगा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।

151. अवधूत शाह, शकरबोगा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ। कंपनी अपना खुद के लिये रोड़ बनाये और अपने लिये स्वयं पानी की व्यवस्था करे, कंपनी हर साल एक लाख पेड़ लगाये । मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।

152. अशोक गुप्ता, शकरबोगा – मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।

153. महेश गुप्ता, शकरबोगा – गांव वालो ने जो मांग रखी थी उसको पूरा करने की स्वीकृति कंपनी के द्वारा दी गई है और कंपनी के द्वारा शासकीय अनुमति प्राप्त कर नल–जल व्यवस्था की जायेगी, गांव में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाये, शिक्षा की व्यवस्था, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तथा निशुल्क इलाज, कंपनी में प्रशिक्षण देने के उपरांत योग्यतानुसार रोजगार दिया जाना, बिक्री में बढ़े दर के अनुसार मुआवजा, स्थानीय निवासी जो कंपनी में काम करते हैं, दुर्घटना होने पर उनका निशुल्क इलाज, मिनी स्टेडियम का निर्माण। मैं जे. एस. डब्लू. का समर्थन करता हूॅ।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग के ई. आई. ए. कंसलटेंट श्री विकास दुबे, जनरल मैनेजर एवं श्री राघव राव, ई. आई. ए. कंसलटेंट ने परियोजना से होने वाले होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 5 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)